Sep

E - 10

मुख्य धारा और समावेशी शिक्षा
(Mainstreaming and Inclusive education)

भारतीय शिक्षा के इतिहास में शिक्षा के सार्वजनीकरण तथा शैक्षिक अवसरों की समानता एवं समावेशी शिक्षा के लिए विभिन्न प्रयास स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लगातार किये जा रहे हैं। इसमें वैधानिक स्तर से सरकार द्वारा तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी Main stream में लाने का साकार रूप दिया जा रहा है।

राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार तथा अन्य Bodies द्वारा समावेशी शिक्षा को मुख्य धारा में लाने के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद की स्थापना अधिनियम 1992 के अनुसार की गयी। अक्षम व्यक्तियों की शिक्षा व्यवस्था के लिये अधिनियम 1995 पारित किया गया। तथा नेशनल ट्रस्ट अधिनियम 1999 पारित किया।

इसी प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी अक्षम व्यक्तियों तथा वर्ग, जेन्डर की शिक्षा के बारे में विचार किया गया।

वर्तमान ~~संविधान~~ संविधान 93 वें संशोधन में भी यह व्यवस्था की गयी कि - 6-14 वर्ष के सभी बालकों को शिक्षा प्राप्त करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।

→ NCF राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना सन् 2000 में समावेशी शिक्षा वाले विद्यालयों (Inclusive schools) की स्थापना करने का प्रस्ताव किया, जिसमें कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों को

Scanned with CamScanner

APRIL
WEDNESDAY 05
WK 14 • 095-270

APRIL 2017

शिक्षा प्रदान करने में सुविधा हो सके।

⇒ वर्तमान समय में समावेशी विद्यालयों के आधार पर ही असक्षम, अपवंचित एवं विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। जिन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए निम्न आवश्यकता है :-

(1.) शिक्षा का सार्वभौमिकरण (Universalisation of Edu.)

(2.) सामाजिक न्याय का उद्देश्य (Aims of Social Ju...

(3.) सहयोगी वातावरण का निर्माण (Creation of Co-operative Environment)

(4.) सम्पूर्ण विकास का उद्देश्य (Aim of all Round development)

(5.) शैक्षिक वातावरण का निर्माण (Creation of educational environment)

(6.) शैक्षिक अवसरों की समानता (Equality of Educational opportunities)

(7.) व्यक्तिगत विकास का उद्देश्य (Aim of Individual development)

(8.) सामाजिक सम्मान का उद्देश्य (Aim of Social Respect) :- समावेशी विद्यालयों में प्रत्येक छात्र में आत्म सम्मान की भावना विकसित की जाती है असक्षम एवं विशेष आवश्यकता वाले बालकों को यह सिखाया जाता है कि उनका समाज में वही स्थान है जो कि एक सामान्य व्यक्ति का होता है

2017

C – 10

Impairment, Disability and Handicappedness.
(बाधिता, असमर्थता एवं अपंगता)

:- विशिष्ट बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिये साधारण शिक्षा के साथ - साथ विशिष्ट शिक्षा भी प्रदान करना अति आवश्यक है। विशिष्ट शिक्षा में तीन शब्दों का प्रयोग प्रायः किया जाता है। ये शब्द है बाधिता (Impairment), असमर्थता (Disability) तथा अपंगता (Handicapped).

(1) बाधिता (Impairment)
(2) असमर्थता (Disability)
(3) अपंगता (Handicapped)

(1) बाधिता (Impairment) :-

जब कोई व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से काम करने के अयोग्य हो जाता है तो उसे हम बाधिता कहते हैं।

पश्चात :-

→ उसके साधारण व्यवहार में अन्तर आ जाता है और वह साधारण रूप से कार्य नहीं कर सकता।

→ बाधिता जन्म से या जन्म के पश्चात दुर्घटना, चोट बीमारी या गलत दवा के प्रयोग से हो सकती है।

→ बाधिता से उसके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वह शारीरिक रूप से लाचार हो जाता है।

→ इसके प्रभाव के कारण उसके लिये उठना - बैठना, घूमना - चलना, बोझ उठाना आदि मुश्किल हो जाता है।

Scanned with CamScanner

APRIL
SUNDAY
WK 14 • 099-266

09

APRIL 2017 (Sep.)

M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30							

C-10

② Disability (असमर्थता) / अक्षमता :-

अक्षमता/असमर्थता की अवधारणा बहुत ही व्यापक है। इसके अन्तर्गत शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपूर्ण बालक सम्मिलित होते हैं।

इस प्रकार अक्षमता की अवधारणा में मानसिक मन्दता, पिछड़ापन, विकलांगता, बाधिता तथा अधिगम अक्षमता का अध्ययन किया जाता है।

अक्षमता के दो प्रकार के होते हैं :-

(i) शारीरिक अक्षमता (physical Disability)

(2) मानसिक अक्षमता (Mental Disability)

① शारीरिक अक्षमता (physical Disability) :-

शारीरिक विकलांगता से अभिप्राय जो शरीर से अक्षम हो। जैसे - देखने, सुनने, बोलने, चलने आदि में कठिनाई का सामना करना पड़ता हो।

शारीरिक अक्षमता (physical Disability)

- (i) दृष्टि (visual Disability)
- वाणी विकलांगता (Speech Disability)
- श्रवण विकलांगता (Hearing Disability)

2017

3. अपंगता (विकलांगता) (Handicapped) :-

अपंगता व्यक्ति की उन समस्याओं से सम्बन्धित है जो बाधिता और विकलांगता के फलस्वरूप होती है।

दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है - इस दोष के कारण सही ढंग से सीखने, खेलने तथा पर्याप्त सामाजिकता की उपलब्धि में कठिनाई अनुभव करते हैं विकलांगता कहलाता है।

Definition of Handicapped :-

B. N. Tiwari के अनुसार :- "विकलांगता एक ऐसी स्थिति है जो किसी की अवस्था में सामान्य व्यवहार, कार्यशक्ति एवं नियमित कार्यों को न्यूनाधिक प्रभावित कर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावात्मक असंतुलन उत्पन्न कर देती है।"

S.K. Sharma

Scanned with CamScanner

M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30							

C-10

Unit-III : Policies and Act Implementing Inclusive Education : (समावेशी शिक्षा क्रियान्वित नीतियाँ और विधेयक):-

भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम → 1992–2000

भारतीय पुनर्वास परिषद् को सरकार द्वारा यह अधिकार प्राप्त है कि नियोग्य व्यक्तियों को जो भी सुविधाएँ दी जाती हैं उनका क्रियान्वयन ~~करे~~ नियंत्रित करें। यह भारतीय पुनर्वास परिषद् अपने आप में एक सरकारी संस्था है। इसे संसद द्वारा पारित अधिनियम से यह अधिकार प्राप्त है कि नियोग्य, वंचित और विशिष्ट आवश्यकता वाले जो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम व कोर्स बनाये गये हैं उनको नियंत्रित करें।

सरकार द्वारा इसकी स्थापना प्रमुख रूप से इसलिए की गयी है कि जो व्यक्ति अपनी अक्षमताओं के कारण समाज से अलग हो गये हैं अथवा समाज द्वारा उनकी योग्यता को किसी एक अक्षमता के होने के कारण नकार दिया गया है, ऐसे व्यक्तियों को भटकने से रोका जाये तथा उनको समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाये। सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति जब समाज की धारा से अलग होता है तो उसके अपराधी, नशेबाजी एवं अन्य कुमार्गों पर चलने की संभावना होती है।

भारत की पुनर्वास परिषद् के उद्देश्य (Aims of Rehabilitation Council of India):-

भारत की पुनर्वास परिषद् के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं जो जिसको ध्यान में रखकर इसकी स्थापना की गयी है:-

① शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के पुनर्वास की व्यवस्था करना, जिससे कि समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें।

Scanned with CamScanner